

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
क्रमांक-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/4052 दिनांक: 08/03/2019
-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री इमराज	कनिष्ठ लिपिक	एपीओ निदेशालय	टोडारायसिंह
2	श्री किशन लाल	कनिष्ठ लिपिक	एपीओ निदेशालय	टोडारायसिंह
3	श्री मनाज कुमारी दाका	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	रतनगढ़
4	श्री अरविन्द	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	रतनगढ़
5	निरमा	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	सरदारशहर
6	श्री योगमाया	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	सरदारशहर
7	श्री पुनम टेलर	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	चूरु
8	श्री मनाज आगादट	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	चूरु
9	श्री अशोक भूरया	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	चूरु

उपरोक्त सभी कर्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश द्वारा अपने वर्तमान पद से स्वतः कार्यमुक्त माने जाएंगे तथा बिना कोई कार्यग्रहण काल का उपयोग किए अविलम्ब अपने नवीन पद पर कार्यग्रहण करेंगे।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवानिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही उन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. उक्त कर्मिकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 8/03/2019

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/4053-4071

प्रतिनिधि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.सा.वि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महाप्रबन्ध/सम्पत्ति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिक्षेत्र अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका,
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग
6. संबंधित कर्मचारी
7. सुरक्षित फाइल।

(अलका मीणा)

उप निदेशक (प्रशासन)